भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2302

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

तेलंगाना में सहकारी बैंक

2302. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना में कार्यरत सहकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं, जमाराशि और अग्रिमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इन सहकारी बैंकों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है;

(ग) विभिन्न जिलों में इन बैंकों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कौन-कौन से मामले सामने आए हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा तेलंगाना में सहकारी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने और इसके समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और इन सहकारी बैंकों की वित्तीय दृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक तेलंगाना में परिचालनरत सहकारी बैंकों का विवरण, उनकी शाखाओं, जमा और अग्रिमों सहित को **अनुबंध I** में दिया गया है। आज तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने तेलंगाना राज्य सहकारी बैंक को 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है।

(ग) से (ङ): नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, तेलंगाना में विभिन्न ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) में धोखाधड़ी के 03 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिन पर नाबार्ड ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई की है।

तेलंगाना में सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और उनकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई और नाबार्ड ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड को सहकारिता मंत्रालय (एमओसी), भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से आरसीबी को सस्ती कीमत पर बेहतर डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।

- नाबार्ड द्वारा आरसीबी को व्यवसाय विकास और उत्पाद नवाचार प्रकोष्ठ (बीडीपीआईसी) और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है।
- सचिव, सहकारिता, तेलंगाना सरकार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) तिमाही आधार पर सभी आरसीबी की वित्तीय स्थिति की निगरानी करती है।
- जिन आरसीबी की सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 10% से अधिक हैं, उन्हें तिमाही आधार पर एक समयबद्ध कार्य योजना (टीबीएपी) प्रस्तुत करनी होती है, जिसकी संयुक्त रूप से आरबीआई और नाबार्ड द्वारा निगरानी की जाती है।
- शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) (100 करोड़ रुपये से कम जमा आकार वाले बैंकों और वेतनभोगी बैंकों के अलावा) को पेशेवर प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने और उनके बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) का गठन करना आवश्यक है।
- शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करेंगे कि संभावित धोखाधड़ी के मामलों/खातों में संदिग्ध गतिविधियों पर व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों की जांच की जाए और उनकी व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जाए।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सहकारी बैंकों सहित बीमित बैंकों में प्रति जमाकर्ता 5,00,000 रुपये तक की सभी प्रकार की जमाराशियों (मूलधन और ब्याज सहित) का बीमा करता है।

*****

अनुबंध I

"तेलंगाना में सहकारी बैंक" के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

तेलंगाना में सहकारी बैंकों का ब्यौरा

बैंक का प्रकार	**शाखाओं की संख्या**	**जमाराशि (राशि करोड़ रुपए में)**	**अग्रिम(राशि करोड़ रुपए में)**
ग्रामीण सहकारी बैंक*	445	165644	34426
शहरी सहकारी बैंक**	355	10198	6805

* 9 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 01 राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं।

***48* शहरी सहकारी बैंक

*****